हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	हुक्म की तामील में जारी हुये
मुकदमा हेमन्त जैन बनाम राजाबाबू मु० नं० 18/19 प्रार्थना पत्र विविध	
04/202 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप० प्रार्थना पत्र 151 CPC के निस्तारण हेतु तथ्य इस प्रकार के हैं कि साइलान की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 39 नियम 2(A) जाब्ता दीवानी के तहत दिनांक 13-3-19 को पेश किया है। जिसमें साइलान द्वारा यह निवेदन किया गया है कि इसी न्यायालय में साइलान द्वारा धारा 88 एवं 188 आर० सी० एक्ट के दावा पेश किया हुआ है उसके साथ ही प्रा० पत्र 212 साथ पेश किया है। जिसमें गैरसाइलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 8-5-2018 को को इस आशय की जारी की गयी थी कि वह विवादित आराजी पर रिकार्ड एवं मौके की दशा स्थिति बनाये रखें। गैरसाइलान द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश की अवहेलना कर मौके पर साइलान के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया तथा हर आदेश का मानने से इन्कार किया। इसी कारण साइलान द्वारा न्यायालय का अवमानना का यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसाइलान को जेल दीवानी भेजने एवं गैरसाइलान की सम्पत्ति कुर्क कर एवं नीलामी कर आर्थिक क्षति पूर्ति कराने बावत निवेदन किया है। गैरसाइलान की ओर से इस प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थना पत्र के तथ्यों से इन्कार किया है तथा यह कहा कि कोई अवमानना के करने तथ्य हैं का गलत आक्षेप की बात कही गयी है। पत्रावली साक्ष्य प्रार्थीगण में चल रही थी। इसी दौरान गैरसाइलान की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC पेश हुआ। जिसमें उनके द्वारा यह निवेदन किया गया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 8-5-2018 को विवादित आराजी पर रिकार्ड एवं मौके की दशा स्थिति बनाये रखने की जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी थी उसे न्यायालय [illegible]	

सुनवाई कर दिनांक 28-11-2019 को निर्णय पारित कर अस्थायी निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र 212 RTA का निरस्त कर दिया गया है इसलिए अन्तरिम निषेधाज्ञा के उल्लंघन किये जाने की कार्यवाही Maintainable नहीं रही है इसलिए प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर खारिज किया जावे।

जवाब प्रा० पत्र 151 CPC में प्रार्थना पत्र के कथनों को इन्कार किया तथा कथन किया है प्रा० पत्र 212 RTA के निरस्त हुआ है दावा अभी चल रहा है, नालिश इस प्रकरण के सब विचाराधीन है इसलिए कार्यवाही समाप्त नहीं की जा सकती है प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील साहबान अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना 151 CPC के समस्त कथनों को दोहराया तथा प्रा० पत्र 212 RTA निरस्त होने से कार्यवाही का मेन्टेनेबल नहीं होना बताया क्योंकि जब मूल प्रार्थना पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र निरस्त हो चुके है दोनों पक्षों का अच्छी तरह सुनकर व रिकार्ड का अवलोकन करके निषेधाज्ञा की अवमानना व उल्लंघन किये जाने की कार्यवाही नहीं हो सकती है। अपने कथन के समर्थन में उनके द्वारा कानूनी नजीर RBJ (26) 2019 पृष्ठ 83 की कानूनी नजीर पेश की। तथा प्रार्थना पत्र 151 CPC स्वीकार कर प्रा० पत्र 039 R2 A खारिज करने बाबत निवेदन किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण साहबान ने अपनी बहस में जवाब प्रा० पत्र के कथनों को दोहराया तथा कथन किया कि अवमानना न्यायालय के आदेश की हुई उस दिन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी थी निरस्त नहीं हुयी थी इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त होने से अवमानना की कार्यवाही निरस्त नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अभिभाषकगण उभय पक्ष पर मनन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत इस्तगासा याचिका नकल निर्णय दिनांक 28-11-...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
अवलोकन से यह भली भाँति साबित हो जाता है कि इस न्यायालय द्वारा अनवानी प्रकरण हेमन्त जैन vs अभय कुमार में दोनों पक्षों को सुनकर एवं सभी तथ्यों पर गौर कर प्रार्थना पत्र 212 RTA को मय जारी 79 के खारिज किया जा चुका है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हेमन्त जैन वगैरा सायलान का विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं होता है इसलिए वह गैरसायलान शाजावाद कौर के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा उल्लंघन की कार्यवाही करने के अधिकारी भी नहीं रहे हैं। वकील प्रार्थी की कानूनी नजीर RBJ 2019 पृष्ठ 83 से हम सहमत हैं। जिसमें यह प्रतिपादित किया है कि जब निषेधाज्ञा का अन्तरिम आदेश निरस्त कर दिया जावे तो उसके बाद प्रार्थी के विरुद्ध अदालत के आदेश की अवहेलना की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इसलिए हम प्रार्थना पत्र 151 CPC स्वीकार कर मूल प्रार्थना पत्र O39 R2 CPC खारिज किया जाना उचित समझते हैं।	
अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र 151 CPC स्वीकार किया जाकर, प्रार्थना आदेश 39 नियम 2 CPC Maintable नहीं होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।	
दि: 01-4-2021	
Sd/ (बृजेश कुमार मंगल) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी	